मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 27, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल के दौरान श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया गया किन्तु लगातार व्यवधान के कारण आज प्रश्नोत्तर काल नहीं हो सका।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 111 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 98 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

सदन में अत्यधिक व्यवधान के कारण पूर्वाह्न 10.34 बजे कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाकर 11.33 बजे कार्यवाही पुन: प्रारम्भ हुई तथा व्यवधान के चलते सदन की कार्यवाही जारी रही।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की प्रदेश के ड्रग ट्रायल्स मरीजों के डाक्टरों द्वारा पर्चे न बनाये जाने,
(2) श्रीमती नीता पटैरिया, सदस्य की जिला सिवनी के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी होने,
(3) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मंडला जिले के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा में रोड निर्माण न होने,
(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में गेहूं खरीदी में भ्रष्टाचार होने,
(5) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर जिले में पाली रोड पर नाला निर्माण न होने,
(6) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की नगर निगम इंदौर द्वारा लायसेंस फीस बढ़ाई जाने,
(7) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद जिले के महात्मा गांधी स्मृति महाविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति न दी जाने,
(8) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की मंदसौर जिले में श्मशान का विकास न होने,
(9) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के सरदारपुर में बी.पी.एल. सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम न होने तथा
(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य की सिरोंज में कब्रिस्तान को नष्ट किये जाने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं।

3. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में छात्रों को गणवेश हेतु दिये गये चेकों का भुगतान न होने तथा
(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के खाचरौद नगर में सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने सम्बन्धी ध्यान आकर्षण की सूचनाएं सदन में अत्यधिक व्यवधान होने के कारण सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

4. सभापति तालिका की घोषणा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री ज्ञान सिंह
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्रीमती नीता पटैरिया
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री रामलखन सिंह

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य (जिला-सिवनी)
(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य (जिला-रतलाम)
(3) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य (जिला-राजगढ़)
(4) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य (जिला-ग्वालियर)

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण भ्रष्टाचार सम्बन्धी नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आए)

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत कुमार मलैया, जल संसाधन मंत्री ने मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 20 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 21 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 23 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

नियम शिथिल कर विधेयक के पुर:स्थापन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपंबध) संशोधन विधेयक, 2012 की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए एक दिन पूर्व वितरित इस विधेयक को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 65 के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही सदन में पुर:स्थापित किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था दी गई।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(5) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 24 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

9. वर्ष 2012-13 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने सदन की सहमति से राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :-

"दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 51, 52, 55, 56, 63, 64, 66, 72, 73, 74, 75, 76 तथा 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार नौ सौ बत्तीस करोड़, सतासी लाख, बारह हजार, तीन सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाए."

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 (क्रमांक 22 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 (क्रमांक 22 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

11. वक्तव्य का पटल पर रखा जाना

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा रासायनिक खादों की मूल्य वृद्धि वापिस लेने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करने के संबंध में वक्तव्य पटल पर रखा गया।

12. अध्यक्षीय व्यवस्था

नियम शिथिल कर विधेयक के विचारण विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज सदन में पुर:स्थापित हुए मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2012, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 तथा मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2012 की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश की कंडिका 24 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही सदन में विचार में लिए जाने सम्बन्धी व्यवस्था दी गई।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(2) श्री जयंत कुमार मलैया, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयंत कुमार मलैया, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 20 सन् 2012)) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 20 सन् 2012)) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 21 सन् 2012) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 21 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 23 सन् 2012) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 23 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(6) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 24 सन् 2012) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 24 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

14. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2012 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है:-

क्र.	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012)	1 घण्टा
2.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2012)	30 मिनट
3.	मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबन्धन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012)	30 मिनट
4.	मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 20 सन् 2012)	30 मिनट
5.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 21 सन् 2012)	2 घण्टे
6.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 23 सन् 2012)	30 मिनट
7.	वर्ष 2012-13 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	2 घण्टे
8.	प्रदेश में गेहूं खरीदी व परिवहन में अनियमितता व अव्यवस्था के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, पुरुषोत्तम दांगी, भगवान सिंह राजपूत, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा एवं रामलखन सिंह, सदस्यगण की नियम 139 के अधीन सूचना.	1 घन्टा 30 मिनट

समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई है कि गुरूवार दिनांक 19 जुलाई, 2012 को सभा की बैठक नहीं रखी जाय।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अध्यक्ष महोदय ने अभी जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. शासकीय संकल्प

खेती में लगने वाले रासायनिक उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों को वापिस लेने विषयक

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2012 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा का पुनर्ग्रहण - ''सदन का यह मत है कि केन्द्र सरकार खेती में लगने वाले रासायनिक उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापिस लेने हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करे, ताकि कृषकों को राहत मिल सके.''.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संकल्प में संशोधन देने वाले सदस्य, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का नाम पुकारा गया किन्तु उनके द्वारा संशोधन नहीं पढ़ा गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प पर चर्चा करने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु सदन में अत्यधिक व्यवधान के कारण चर्चा नहीं हो सकी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन पर मत लिया गया कि :- प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संकल्प के अंत में निम्न शब्दावली जोड़ी जाए, अर्थात्– ''रासायनिक उर्वरकों पर 31.5.2004 तक कोई वाणिज्य कर/वेट कर या प्रवेश कर राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता था, किन्तु दिनांक 1.6.2004 से 1.8.2009 तक 4.6 प्रतिशत की दर से कर/वेट लिया गया एवं दिनांक 1.8.2009 से लगातार वेट 5 प्रतिशत एवं प्रवेश कर 1.4.2010 से 1 प्रतिशत लिया जा रहा है, जो प्रदेश के किसानों पर राज्य सरकार का करारोपण है को वापिस लिया जाए.''

संशोधन अस्वीकृत हुआ।
संकल्प ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

16. प्रस्ताव
चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी एवं डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्यगण के निष्कासन विषयक

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि – ''चूंकि माननीय चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी व डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्यगण ने कल दिनांक 17 जुलाई, 2012 को सभा की बैठक के दौरान आसंदी पर चढ़कर घोर असंसदीय एवं अमर्यादित व्यवहार किया, आसंदी पर विराजमान माननीय सभापति का अपमान किया, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया, शासकीय कागजात फाड़े, नारेबाजी की और एकाधिक बार आसंदी को हांथों से ठोका, साथ ही दोनों सदस्यों ने अन्य सदस्यों को भी उत्तेजित किया और जानबूझकर सभा के कार्य में व्यवधान उपस्थित किया। इस गंभीर दुराचरण, असंसदीय व्यवहार और कृत्य की वजह से दोनों सदस्य सदन के सदस्य रहने योग्य नहीं रह गये हैं.'' तथा यह प्रस्ताव किया कि –

''चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी व डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्यगण की सदस्यता समाप्त की जाकर उन्हें सभा से निष्कासित (एकसपेल) किया जाये।''

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया)

प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

17. अध्यक्षीय घोषणा
कांग्रेस पक्ष के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि – आज दिनांक 18 जुलाई, 2012 को मुझे सर्वश्री अनूप मिश्रा, सुदर्शन गुप्ता, ताराचंद बावरिया, शरद जैन एवं अन्य अनेक माननीय सदस्यों की ओर से इस आशय की एक विशेषाधिकार भंग की सूचना प्राप्त हुई है कि –

''कल दिनांक 17 जुलाई, 2012 को सभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस पक्ष के सदस्य सर्वश्री लाखन सिंह यादव, रामनिवास रावत, पुरूषोत्तम दांगी, विजेन्द्र सिंह मालाहेड़ा, आरिफ अकील, नारायण प्रजापति, श्रीमती इमरती देवी और अन्य ने सदन की कार्यवाही में जानबूझकर व्यवधान उपस्थित किया, आसंदी पर चढ़कर नारेबाजी की और ऐसा घोर अमर्यादित एवं असंसदीय व्यवहार किया जो सदन में पहले कभी नहीं देखा गया। सदस्यों के गंभीर दुराचरण से सदन की गरिमा आहत हुई है। कांग्रेस पक्ष के सदस्यों के उक्त कृत्य से सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार भंग भी हुआ है।

सदन की गरिमा को तार-तार करने वाले उक्त माननीय सदस्यों का कृत्य अत्यंत ही निंदनीय है। अत: सदस्यों के विरूद्ध सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार भंग किए जाने के कारण कड़ी कार्यवाही किए जाने का अनुरोध है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – ''मैं मध्यप्रदेश विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-169 के अंतर्गत इस मामले की जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूँ''

18. प्रस्ताव
सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने विषयक

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि चूंकि वर्तमान सत्र हेतु नियत महत्वपूर्ण शासकीय कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। प्रतिपक्ष (कांग्रेस) के सदस्य सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए विधान सभा की कार्यवाही बाधित है। तथा यह प्रस्ताव किया कि ''विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए.''

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया।)

प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

19. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया।

20. सदन की कार्यवाही का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन

मध्याह्न 12.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 18 जुलाई, 2012